



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 12, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-01

संख्या- 463 / XVIIA-1 / 2026-01(36) / 2015,

देहरादून, 03 जुलाई, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2015) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नन्दी राणा, जनपद-चमोली को "उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग" में 'सदस्य' के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्रीमती नन्दी राणा का कार्यकाल उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 की धारा 5(1) के अनुसार आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा उक्त सदस्य के कर्तव्य/दायित्व/अधिकार एवं सेवा शर्तें उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 में विहित प्रावधानों के अनुसार होंगी।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।